

प्रेषक,  
नितेश कुमार झा,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- |   |   |
|---|---|
| 1- मुख्य प्रशासक,<br>उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास,<br>प्राधिकरण, देहरादून। | 2- उपाध्यक्ष,<br>विकास प्राधिकरण,<br>देहरादून/हरिद्वार।         |
| 3- उपाध्यक्ष,<br>समस्त जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरण,<br>उत्तराखण्ड।          | 4- सचिव,<br>दूनघाटी विशेष क्षेत्र<br>विकास प्राधिकरण, देहरादून। |
- आवास अनुभाग-2  
देहरादून, दिनांक / 0 जुलाई, 2018

विषय- राज्य के विकास प्राधिकरणों में भवन मानचित्र से संबंधित विभिन्न शुल्कों के निर्धारण विषयक।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-4697/V/शा0वि0-आ0-2004-80(शा0)/2003, दिनांक 19.10.2004 के द्वारा प्राधिकरणों के लिए निर्धारित भवन मानचित्र से संबंधित विभिन्न शुल्कों का निर्धारण किया गया है। सम्प्रति राज्य में 12 जनपदीय स्तर विकास प्राधिकरण अधिसूचित होने के फलस्वरूप एवं निर्धारित शुल्कों का पुनर्निर्धारण किए जाने के उद्देश्य से सम्यक विचारोपरान्त लिए गये निर्णयानुसार उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 19.10.2004 साथ संलग्नक परिशिष्ट को संशोधित करते हुए तदनुसार संशोधित परिशिष्ट संलग्न कर इस आशय से आपको प्रेषित किया जा रहा है कि इस शासनादेश की जारी होने की तिथि से यह निर्धारित संशोधित शुल्क राज्य में समस्त विकास प्राधिकरणों में प्रभावी होंगे।

- 2- इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि इस शासनादेश के साथ संलग्न परिशिष्ट के द्वारा निर्धारित मानचित्र शुल्क समस्त विकास प्राधिकरणों/समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में समान रूप से लागू होंगे। किन्तु मसूरी क्षेत्र में पूर्व शासनादेश दिनांक 19.10.2004 द्वारा निर्धारित दरें ही लागू होंगी।
- 3- उपरोक्तानुसार राभी स्तरों पर अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्यवाही करने का कष्ट करें।
- 4- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या-294/XXVII(2)/2018, दिनांक 20.07.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

संलग्नक:- यथोक्त।

( नितेश कुमार झा )  
सचिव

संख्या- 297/V-2/06(आ0)2016/2018-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मण्डलायुक्त, कुमायूं/गढवाल, नैनीताल/पौड़ी।
- 2- समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
- 3- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- 4- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

( प्रेम सिंह राणा )  
अनु सचिव

Mep Cell / AE Mathu  
4/10/18 3/5/18  
11/09/18

C.C. श्री जोशी

020 21145 पञ्जाबी-पर

आर.एम. सिंह

12/11/18

**शासनादेश संख्या-27/V-2/17-(आ0)/2018 दिनांक 10 जुलाई, 2018 दश संलग्नक परिशिष्ट**

शासनादेश संख्या-4697/शा010-आ0-2004-80(आ0)/2003, दिनांक 19.10.2004 के अनुसार	शासनादेश संख्या-4697/शा010-आ0-2004-80(आ0)/2003, दिनांक 19.10.2004 के अनुसार		प्रस्तावित		अन्य
	महानी क्षेत्र	पर्वतीय क्षेत्र	महानी क्षेत्र के सामान संख्या 2 के अतिरिक्त महानी क्षेत्र के शेष विकास क्षेत्र	पर्वतीय विकास क्षेत्र	
1. मानचित्र आवेदन शुल्क	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
i. आवासीय उपयोग					
<b>(क) आवासीय भवन (मू-खण्ड क्षेत्रफल पर)</b>					
100 वर्ग मी0 तक	₹0 100	₹0 100	₹0 100	₹0 100	₹0 100
101 से 200 तक	₹0 200	₹0 200	₹0 200	₹0 200	₹0 200
201 से 300 तक	₹0 300	₹0 300	₹0 300	₹0 300	₹0 300
300 से अधिक	₹0 2 प्रति वर्ग मी0 की दर से या उसके अंश पर जो भी अधिक हो।	₹0 2 प्रति वर्ग मी0 की दर से या उसके अंश पर जो भी अधिक हो।	₹0 2 प्रति वर्ग मी0 की दर से या उसके अंश पर जो भी अधिक हो।	₹0 2 प्रति वर्ग मी0 की दर से या उसके अंश पर जो भी अधिक हो।	₹0 2 प्रति वर्ग मी0 की दर से या उसके अंश पर जो भी अधिक हो।
<b>(ख) आवासीय तलपट</b>					
(ग) मूय धातुसिमे/मनोरजन/पर्यटन	₹0 5000	₹0 5000	₹0 5000	₹0 5000	₹0 5000
1.2 व्यवसायिक उपयोग/व्यवसायिक	₹0 3000	₹0 3000	₹0 3000	₹0 3000	₹0 3000
तलपट मानचित्र शुल्क	₹0 5000	₹0 5000	₹0 5000	₹0 5000	₹0 5000
1.3 वार्षिक एवं तत्संबन्धी उपयोग प्रोजेक्ट के उपयोग	₹0 3000	₹0 3000	₹0 3000	₹0 3000	₹0 3000
1.4 पार्क/बाग/शैक्षिक/संस्थान/राजकीय संस्थान/आईटी/सामुदायिक उपयोग	₹0 3000	₹0 3000	₹0 3000	₹0 3000	₹0 3000
1.5 औद्योगिक उपयोग	₹0 3000	₹0 3000	₹0 3000	₹0 3000	₹0 3000
1.6 औद्योगिक तलपट मानचित्र आवेदन शुल्क	₹0 5000	₹0 5000	₹0 5000	₹0 5000	₹0 5000
1.7 पार्क/बाग एवं पर्यटन उपयोग	₹0 500	₹0 500	₹0 500	₹0 500	₹0 500

*(Handwritten mark)*

1.8 मनोरंजन/पर्यटन उपयोग	₹ 3000	₹ 3000	₹ 3000	₹ 3000	₹ 3000
2. सुधार एवं विकास शुल्क (मकान के समस्त तलों के आच्छादित क्षेत्र पर देय होगा)					
आवासीय मकान	₹ 75/वर्ग मी ₹ 55/वर्ग मी ₹ 35/वर्ग मी ₹ 75/वर्ग मी मजूरी विकास क्षेत्र तथा अन्य विशेष क्षेत्रों में आये दर तथा ग्रामीण क्षेत्र में ₹ 25/वर्ग मी	₹ 100/वर्ग मी	₹ 60/वर्ग मी	₹ 60/वर्ग मी	₹ 30/वर्ग मी
गुप्त उपकरण	₹ 75/वर्ग मी	₹ 100/वर्ग मी		₹ 60/वर्ग मी	₹ 30/वर्ग मी
व्यवसायिक मकान	₹ 200/वर्ग मी	₹ 250/वर्ग मी		₹ 150/वर्ग मी	₹ 100/वर्ग मी
औद्योगिक मकान	₹ 100/वर्ग मी	₹ 100/वर्ग मी		₹ 70/वर्ग मी	₹ 40/वर्ग मी
शैक्षिक/स्वास्थ्य/तकनीकी शिक्षा उपयोग के मकान	₹ 100/वर्ग मी	₹ 100/वर्ग मी		₹ 70/वर्ग मी	₹ 40/वर्ग मी
कार्यालय/संस्थागत/धार्मिक/सांस्कृतिक मकान अन्य सामुदायिक उपयोग के मकान	₹ 100/वर्ग मी	₹ 100/वर्ग मी		₹ 70/वर्ग मी	₹ 40/वर्ग मी
मॉडिंग प्लांट/बैनरस्टेड होल	₹ 200/वर्ग मी	₹ 150/वर्ग मी		₹ 100/वर्ग मी	₹ 50/वर्ग मी
सूचना प्रौद्योगिकी उपयोग के मकान	₹ 75/वर्ग मी	₹ 75/वर्ग मी		₹ 75/वर्ग मी	₹ 75/वर्ग मी
कृषि फार्म, कृषि कार्यकलाप भवन मुर्गी फार्म, मत्स्य फार्म, सुखर पालन, नत्स्य पालन पार्क आदि सार्वजनिक मकान	₹ 200/वर्ग मी	₹ 200/वर्ग मी		₹ 150/वर्ग मी	₹ 100/वर्ग मी
3. नू-उपयोग प्रभाग पर	न्यूनतम ₹ 150 अथवा प्रति खसरा ₹ 15 की दर से जो भी अधिक हो	न्यूनतम ₹ 150 अथवा प्रति खसरा ₹ 15 की दर से जो भी अधिक हो		न्यूनतम ₹ 150 अथवा प्रति खसरा ₹ 15 की दर से जो भी अधिक हो	न्यूनतम ₹ 150 अथवा प्रति खसरा ₹ 15 की दर से जो भी अधिक हो
4. पत्रावली पुनस्थापना शुल्क					
आवासीय	मानाधिक शुल्क का 50%	मानाधिक शुल्क का 50%		मानाधिक शुल्क का 50%	मानाधिक शुल्क का 50%
व्यवसायिक	मानाधिक शुल्क का 75%	मानाधिक शुल्क का 75%		मानाधिक शुल्क का 75%	मानाधिक शुल्क का 75%

32

आधारभूत	मानचित्र शुल्क का 50%	मानचित्र शुल्क का 50%	मानचित्र शुल्क का 50%	मानचित्र शुल्क का 50%	मानचित्र शुल्क का 50%
अन्य	मानचित्र शुल्क का 30%	मानचित्र शुल्क का 30%	मानचित्र शुल्क का 30%	मानचित्र शुल्क का 30%	मानचित्र शुल्क का 30%
5. प्रतिनिधि शुल्क	प्राधिकरण अभिलेख से निजी मानचित्र प्राप्ति के आवेदन करने पर प्रतिदिन शुल्क के रूप में ₹0 100 प्रति प्रतिदिन की दर पर शुल्क देय होगा	मानचित्र की प्राप्ति के लिए ₹0 200/प्रति तथा ₹0 2/पृष्ठ की दर से	मानचित्र की प्राप्ति के लिए ₹0 200/प्रति तथा ₹0 2/पृष्ठ की दर से	मानचित्र की प्राप्ति के लिए ₹0 200/प्रति तथा ₹0 2/पृष्ठ की दर से	मानचित्र की प्राप्ति के लिए ₹0 200/प्रति तथा ₹0 2/पृष्ठ की दर से

#### टिप्पणी:-

1. भैदानी क्षेत्रों के निर्मित/विकसित क्षेत्र में भू-उपविभाजन शुल्क 01 प्रतिशत में एवं अविकसित क्षेत्र में 05 प्रतिशत देय होगा तथा पर्वतीय क्षेत्र में भैदानी क्षेत्रों का 50 प्रतिशत देय होगा।
2. भैदानी क्षेत्रों में पर्यवेक्षण शुल्क ₹0 05 प्रति वर्ग मीटर की दर से आच्छादित क्षेत्रफल पर तथा पर्वतीय क्षेत्र में ₹0 05 प्रति वर्ग मीटर की दर से देय होगा।
3. नसूरी विकास क्षेत्र में शुल्कों की गणना शासनोद्देश संख्या-4697/श0वि0-आ0-2004-80(सा0)/2003, दिनांक 19.10.2004
4. उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त यदि अन्य शुल्क आवश्यक हैं तो सम्बन्धित बोर्ड से प्रस्ताव शासन को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाएगा।
5. उपरोक्त शुल्कों में यदि स्थानीय परिस्थिति के अनुसार कोई परिवर्तन की आवश्यकता हो तो अपने बोर्ड से प्रस्ताव शासन को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाएगा।
6. तालिका में वर्णित भैदानी/पर्वतीय क्षेत्र की परिभाषा प्रचलित भवन उपविधि में निर्धारित परिभाषा के अनुसार होगा।

(1) 2017